भारत सरकार परमाण् ऊर्जा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 226

उत्तर दिनांक 11/12/2024 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- ^{*}226. कु. सुधा आर.
 - क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
- (क) देश में राज्य-वार कितने नाभिकीय और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और उनकी क्षमता उपयोग और विद्युत उत्पादन सहित प्रति-इकाई क्षमता क्या है;
- (ख) हितधारकों को वितरित परमाण् ऊर्जा की हिस्सेदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अन्य जीवाश्म-आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा की प्रति-यूनिट उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में राज्य-वार कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं; और
- (ङ) इकाई-वार एवं राज्य-वार, रेडिएशन से प्रभावित ऐसे लोगों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनका सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार हुआ है और उन्हें कितना मुआवजा पैकेज प्रदान किया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) तक सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग

"परमाणु ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में कु. सुधा आर. द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *226 (छठवां स्थान), जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

- (क) विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है।
- (ख) केंद्रीय क्षेत्र के बिजली उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली निर्धारित मानदंडों के अनुसार विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बिजली क्षेत्र के लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबंटित की जाती है। विवरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है।
- (ग) वर्ष 2023-24 में नाभिकीय ऊर्जा का औसत प्रशुल्क रुपए 3.83 प्रति किलोवाट था। नाभिकीय ऊर्जा से उत्पादित बिजली का प्रशुल्क इलाके/क्षेत्र में स्थित समकालीन परम्परागत मूल भार बिजली उत्पादन इकाइयों (जैसे कोयला आधारित तापीय विद्युत) के बिजली प्रशुल्क से तुलनीय है। सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जाएं अस्थायी हैं और उनके प्रशुल्क की तुलना कोयला और नाभिकीय जैसे आधार भार स्रोतों के बिजली प्रशुल्क के साथ तभी की जा सकती है जब उनसे जुड़े ग्रिड और भंडारण लागत को भी इसमें शामिल किया जाए।
- (घ) नौ नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में हैं और बारह रिएक्टर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)						
निर्माण/कमीशनन के अधीन परियोजनाएं									
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-७ व ८	2 X 700						
तमिलनाइ	rheachall	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000						
Cliendialia	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000						
	कल्पाक्कम	पीएफबीआर#	1 X 500						
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700						
पूर्व-परियोजना गतिविधि	पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं								
कर्नाटक	कैगा	कैगा-५ व ६	2 X 700						
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-3 व 4	2 X 700						
मध्य प्रदेश	चुटका	चुटका-१ व २	2 X 700						
T-791-7	माही बांसवाड़ा	माही बांसवाड़ा-1 व 2	2 X 700						
राजस्थान	नारा वासपाड़ा	माही बांसवाड़ा-3 व 4	2 X 700						
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	एफबीआर-1 व 2 #	2 X 500						

[#] भाविनी द्वारा क्रियान्वित

(ङ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से जनता पर विकिरण के प्रभाव की डोज़ एईआरबी द्वारा निर्धारित सीमा का एक नगण्य अंश ही रही है। इसलिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले विकिरण से प्रभावित लोगों के उपचार और मुआवजे की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, विकिरण के संपर्क के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता के कोई मामले नहीं हुए हैं।

राज्य	स्थान	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	संयंत्र भार गुणक (%) (अप्रैल 24 - अक्टूबर 24)	
		टीएपीएस-1 ^{&}	160	0&	
112111N		टीएपीएस-2 ^{&}	160	0&	
महाराष्ट्र	तारापुर	टीएपीएस-3	540	98.82	
		टीएपीएस-4	540	99.47	
		आरएपीएस-1 [®]	100	0@	
		आरएपीएस-2	200	91.97	
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीएस-3	220	52.45	
राजस्थान	रायतमाटा	आरएपीएस-४	220	89.88	
		आरएपीएस-5	220	95.57	
		आरएपीएस-6	220	102.29	
	कल्पाक्कम	एमएपीएस-1&	220	0&	
जीविज्ञ ाह		एमएपीएस-2	220	92.74	
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-1	1000	92.93	
		केकेएनपीपी-2	1000	72.56	
उत्तर प्रदेश	नरौरा	एनएपीएस-1	220	92.75	
उत्तर प्रदश	नरारा	एनएपीएस-2	220	97.73	
		केएपीएस-1	220	77.29	
	काकरापार	केएपीएस-2	220	95.38	
गुजरात		केएपीएस-3	700	70.43	
		केएपीएस-4	700	67.14	
		केजीएस-1	220	95.22	
कर्नाटक	कैगा	केजीएस-2	220	93.04	
		केजीएस-3	220	104.55	
		केजीएस-4	220	108.02	

[®] आरएपीएस-1 विस्तारित शटडाउन के अधीन है। [&] टीएपीएस-1 व 2 और एमएपीएस-1 वर्तमान में नवीकरण हेतु परियोजना मोड के अधीन है।

अनुलग्नक-बी

n Tra	क्षमता	पश्चिम क्षेत्र में नाभिकीय बिजलीघरों से आबंटन (% हिस्सा)								
यूनिट	(मेगावाट)	महाराष्ट्र	गुजरात	मध्य प्रदेश	डीएनएच व डीडी	गोवा	छत्तीसगढ़	अनाबंटित		
टीएपीएस-१ व २	2X160	50.00	50.00	-	-	-	-	-		
टीएपीएस -3 व 4	2X540	36.39	25.37	16.67	1.11	1.02	4.44	15.00		
केएपीएस -1 व 2	2X220	31.14	28.41	21.14	0.90	3.41	-	15.00		
केएपीएस -3 व 4	2X700	27.05	33.99	15.64	0.94	1.12	6.26	15.00		

	क्षमता	उत्तरी क्षेत्र में नाभिकीय बिजलीघरों से आबंटन (% हिस्सा)									
यूनिट	(मेगावाट)	राजस्थान	हरियाणा	जम्मू व कश्मीर और लदाख	पंजाब	उत्तर प्रदेश	चंडीगढ़	दिल्ली	उत्तराखं ड	हिमाचल प्रदेश	अनाबंटित
आरएपीएस-१ व 2	100+200	100.00	-	-	-	-	-	-			-
आरएपीएस-3 व 4	2X220	28.41	10.91	7.95	22.73	15.00	-	-	-	-	15.00
आरएपीएस-५ व ६	2X220	19.94	5.67	-	10.41	19.49	0.68	12.69	3.40	3.40	24.32
एनएपीएस-१ व 2	2X220	10.00	6.36	7.50	11.59	31.30	1.14	10.68	3.70	3.18	14.55

यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	दक्षिणी क्षेत्र में नाभिकीय बिजलीघरों से आबंटन (% हिस्सा)							
		आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	तेलंगाना	पुडुचेरी	अनाबंटित	
केजीएस - 1 व 2	2X220	12.05	24.55	8.64	23.86	14.08	1.82	15.000	
केजीएस - 3 व 4	2X220	12.89	27.05	7.95	20.68	15.06	1.36	15.00	
एमएपीएस - 1 व 2	2X220	3.98	6.59	5.23	74.32	4.65	1.14	4.09	
केकेएनपीपी - 1 व 2	2X1000	-	22.10	13.30	46.25	-	3.35	15.00	
